भारत सरकार

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न सं. \*14**

05.12.2013 को उत्तर के लिए

**वनों में असाधारण बदलाव के प्रभाव**

**\*14. श्री एन0 के0 सिंह :**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के वनों में असाधारण बदलाव आ रहा है जिसके कारण जैव-विविधता खतरे में पड़ रही है और क्षेत्रीय जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने देश में जैव-विविधता को बनाए रखने और उसके संरक्षण के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं ?

**उत्तर**

**पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती जयंती नटराजन )**

(क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है ।

\*\*\*\*

**''वनों में असाधारण बदलाव के प्रभाव'' के बारे में दिनांक 05.12.2013 को उत्तर के लिए श्री एन. के. सिंह द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*14 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।**

(क) और (ख) आईएनसीसीए (जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन संबंधी भारतीय नेटवर्क) द्वारा वर्ष 2010 में ''जलवायु परिवर्तन और भारत: एक 4x4 मूल्यांकन - वर्ष 2030 हेतु क्षेत्रीय और आंचलिक विश्लेषण'' नामक अध्ययन प्रकाशित किया गया था । इस रिपोर्ट में वर्ष 2030 में भारत के चार जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों नामश: हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, तटीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर में भारतीय अर्थव्यवस्था के चार मुख्य क्षेत्रों नामश: कृषि, जल, प्राकृतिक पारि-प्रणालियों और जैव-विविधता तथा

स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रभाव का मूल्यांकन दिया गया है । इसके अतिरिक्त, इस रिपोर्ट में वन प्रकार सीमा में बदलाव, निवल प्राथमिक उत्पादकता और बायोमास तथा कार्बन संचय दरों में परिवर्तन सहित वनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में बताया गया है । तथापि, वनों में अभूतपूर्व बदलाव से जैव-विविधता को उत्पन्न हो रहे खतरे और देश में हो रहे क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन/गतिशीलता को दर्शाने वाला कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है ।

(ग) जैविक विविधता के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपायों में *अन्य बातों के साथ-साथ :* जीवजात और वनस्पतिजात संसाधनों का सर्वेक्षण और सूची तैयार करना ; योजना और निगरानी के लिए एक सटीक डेटाबेस विकसित करने हेतु वनावरण का आकलन करना ; राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, संरक्षण और सामुदायिक रिज़र्वों के संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क की स्थापना करना ; प्रतिनिधि पारि-प्रणालियों के संरक्षण हेतु जैव-मंडल रिज़र्वों को निर्दिष्ट करना ; बाह्य स्थाने संरक्षण प्रयासों सहित बाघ परियोजना और हाथी परियोजना जैसे प्रजाति अभिमुख कार्यक्रम शामिल हैं । इसके अतिरिक्त, जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का लक्ष्य देश के जैविक संसाधन को संरक्षित करना तथा उनके उपयोग से होने वाले लाभों में समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए इन संसाधनों तक की पहुंच का विनियमन करना है । इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु एक राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव-विविधता बोर्ड स्थापित किए गए हैं ।

\*\*\*